राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

डी.बी. सिविल विविध अपील संख्या 539/2020

मैसर्स मेवाड़ एसोसिएट्स, इसके प्रोपराइटर श्री राजेश्वर सिंह पुत्र श्री राम सिंह चुंडावत, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट थड़ा तहसील सलूंबर, जिला उदयपुर (राजस्थान) के माध्यम से

----अपीलकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर, डूंगरपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. जल संसाधन विभाग, उदयपुर अपने अतिरिक्त मुख्य अभियंता के माध्यम से।
3. जल संसाधन, संभाग डूंगरपुर अपने अधिशासी अभियंता के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री मनोज भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उनके सहायक श्री अनिकेत तातेर।
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री एस.एस. राठौर, एएजी

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् श्री चंद्रशेखर

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् मदन गोपाल व्यास

आदेश

09/01/2025

द्वारा एस. चंद्रशेखर, जे:

मैसर्स मेवाड़ एसोसिएट्स द्वारा अपने प्रोप्राइटर के माध्यम से प्रकरण संख्या 144/2018 (मूल वाद) में पारित निर्णय दिनांक 18 सितंबर 2019 को चुनौती दी गई है।

---

2. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए: (1) क्या दावेदार, विपक्षी पक्ष की ओर से हुई देरी और विफलता के कारण ब्याज सहित 16,02,249/- रुपये की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है, (2) क्या 7 दिसंबर 2012 के सशक्त स्थायी समिति के निर्णय में इस आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है कि दावेदार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, (3) क्या वाद परिसीमा से वर्जित है, (4) क्या न्यायालय के पास वाद पर विचार करने का क्षेत्राधिकार और शक्ति है और (5) क्या दावेदार को राहत दी जा सकती है। मैसर्स मेवाड़ एसोसिएट्स (जिसे इसके बाद अपीलार्थी-फर्म कहा जाएगा) को 16,02,249/- रुपये की हानि के मुद्दे पर वाणिज्यिक न्यायालय ने माना कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ पत्रों के अलावा उसके द्वारा कोई समर्थनकारी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जहाँ तक सशक्त स्थायी समिति के दिनांक 7 दिसंबर 2012 के निर्णय का संबंध है, वाणिज्यिक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलार्थी-फर्म को सुनवाई का अवसर दिया गया था और इसीलिए उसे उक्त निर्णय की जानकारी थी। वाणिज्यिक न्यायालय ने परिसीमा और क्षेत्राधिकार के मुद्दों पर अपीलार्थी-फर्म के पक्ष में तय किया।

3. अपीलार्थी-फर्म की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज भंडारी ने 18 सितंबर 2019 के निर्णय की आलोचना करते हुए विविध तर्क प्रस्तुत किए हैं। अपीलार्थी-फर्म की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों में से एक यह है कि प्रशासनिक अभियंता (संक्षेप में, "नियोक्ता") ने उस भूमि का पूरा खंड उपलब्ध नहीं कराया जिस पर सिंचाई नहर का निर्माण किया जाना था। अपीलार्थी-फर्म की ओर से दिया गया एक और

महत्वपूर्ण आधार यह है कि विषयगत भूमि के एक हिस्से के अधिग्रहण के संबंध में अपीलार्थी-फर्म की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में कोई चर्चा नहीं है और इसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक न्यायालय, उदयपुर द्वारा एक त्रुटिपूर्ण निर्णय दिया गया है। अपीलार्थी-फर्म के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज भंडारी ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों, 14 दिसंबर 2007 की जांच रिपोर्ट और 19 मार्च 2007 के अधिशाषी अभियंता के पत्र का भी संदर्भ दिया है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सज्जन सिंह राठौड़ ने दलील दी कि यह तथ्य नहीं है कि अपीलार्थी- फर्म को भूमि का कब्ज़ा नहीं दिया गया था, बल्कि भूमि स्वामियों को मुआवज़े के भुगतान को लेकर कुछ विवाद था जिसका अपीलार्थी-फर्म द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन से कोई लेना-देना नहीं था। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आगे दलील दी कि अपीलार्थी-फर्म ने चेन 0 से चेन 40 तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया था, जो निर्बाध था और उसका कब्ज़ा अपीलार्थी-फर्म को पहले ही सौंप दिया गया था। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के समर्थन में अनुबंध की शर्तों के खंड 2 और 3 का हवाला दिया है।

5. संक्षेप में, अमरपुरा परियोजनाओं के तहत 0.0 किमी से 1.9 किमी तक नहर कार्य और सीडी कार्य अपीलार्थी-फर्म को दिए गए थे, जिसका कुल अनुबंध मूल्य 98,67,614/- रुपये था। अपीलार्थी-फर्म के पक्ष में जारी दिनांक 16 दिसंबर 2004 के कार्य आदेश के अनुसरण में, एक अनुबंध निष्पादित किया गया था जिसके तहत कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि 24 दिसंबर 2005 थी। हालांकि, संबंधित नहर का कार्य 24 दिसंबर 2005

तक पूरा नहीं हुआ और 30 जून 2006 तक कार्य पूरा करने की अवधि बढ़ाने का आदेश 31 मार्च 2006 को जारी किया गया था। 31 जुलाई तक कार्य पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का दूसरा विस्तार आदेश 28 जून 2006 को जारी किया गया था। नियोक्ता द्वारा दिए गए समय के विस्तार के बावजूद, अपीलार्थी-फर्म काम पूरा नहीं कर सकी और अपीलार्थी-फर्म पर जुर्माना लगाया गया और इस आशय का एक आदेश 12 जुलाई 2006 को जारी किया गया जिसमें उसे खंड 2 के तहत 5,16,038.00/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी-फर्म को आगे सूचित किया गया कि शेष कार्य अन्य एजेंसी के माध्यम से पूरा किया जाएगा और राशि के अंतर की वसूली खंड 3 (सी) के तहत उससे की जाएगी। लेकिन इससे पहले, अधीक्षण अभियंता ने 5 जुलाई 2006 के पत्र द्वारा एक आदेश जारी किया, जिसमें धारा 2 और 3 (सी) के तहत अनुबंध को समाप्त करने और हर्जाना वसूलने की मंजूरी दी गई। बाद में, अपीलार्थी-फर्म को सूचित किया गया कि उसे खंड 2 के तहत 4,86,746.00/- रुपये जमा करने होंगे और उस राशि को सुरक्षा जमा राशि के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, धारा 3 (सी) के तहत उसे 25,76,076.00/- रुपये का हर्जाना जमा करना था और इस संबंध में 21 अक्टूबर 2007 को एक आदेश जारी किया गया।

6. वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी-फर्म द्वारा यह दलील दी गई थी कि नियोक्ता द्वारा अपने दायित्वों का गंभीर उल्लंघन और गैर-निष्पादन किया गया है क्योंकि भूमि के बेड लेवल क्रॉस-सेक्शन का कब्जा उसे नहीं दिया गया था और नियोक्ता कार्य स्थल पर अपीलार्थी-फर्म के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन

रहा। अपीलार्थी-फर्म के अनुसार, भूमि के एक हिस्से का कब्जा 20 जनवरी 2005 को दिया गया था और उसने 7,00,000/- रुपये मूल्य की आवश्यक सामग्री जुटाई थीं और ट्रैक्टर, जेसीबी मशीनें, मिक्चर मशीनें, वाइब्रेटर, टैंकर और अन्य मशीनरी उसके द्वारा नियोजित की गई थीं, लेकिन नियोक्ता के असहयोग और भूमि स्वामियों, जिन्हें अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया था, के विरोध के कारण कार्य वांछित गति से आगे नहीं बढ़ सका। अपीलार्थी-फर्म ने सहायक अभियंता, सिवालवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक 419 के माध्यम से कार्य रोकने के निर्देश जारी करने और नियोक्ता की ओर से आरडी 29 से 40 के बीच नहर की खुदाई और पत्थर काटने के दौरान अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए जगह की पहचान न करने की विफलता के कारण लाभ की हानि का दावा किया गया। इन कारणों से, अपीलार्थी-फर्म ने तर्क दिया कि उसे अपशिष्ट पदार्थों की ढुलाई और निपटान के लिए अतिरिक्त शुल्क वहन करना पड़ा। अपीलार्थी-फर्म ने आगे दलील दी कि 5 मार्च 2008 की जांच रिपोर्ट ने उसके पक्ष में अनुकूल सिफारिशें कीं गई थीं लेकिन नियोक्ता ने अनुबंध के खंड 2 और 3 (सी) के तहत एकतरफा 25,62,806/- रुपये का जुर्माना लगा दिया। अपीलार्थी-फर्म ने तीन महीने से अधिक समय तक जनशक्ति और मशीनरी के निष्क्रिय रहने के कारण भी नुकसान का अभिवाक् किया। अपीलार्थी-फर्म द्वारा उठाए गए दावे निम्नलिखित थे: (क) सशक्त स्थायी समिति के 7 दिसंबर 2012 के आदेश को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और अपीलार्थी-फर्म को मुआवजा दिया जाना चाहिए, (ख) 19 अप्रैल 2005 से 26 जुलाई 2005 की अवधि के बीच लोगों और मशीनरी के निष्क्रिय रहने के कारण 2,00,000/- रुपये का मुआवजा उसे दिया जाना चाहिए, और (ग) 49,00,000/- रुपये के अधूरे काम के कारण 5,00,000/- रुपये के लाभ की हानि उसे

दी जानी चाहिए। अपीलार्थी-फर्म ने इसके अतिरिक्त अन्य दावे भी किए जैसे: (क) 18% ब्याज सहित 5,00,000/- रुपये की वापसी, (ख) अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए 1,55,249/- रुपये की वापसी, (ग) 4,00,000/- रुपये मूल्य के राष्ट्रीय बचत दस्तावेजों की वापसी, (घ) ब्याज सहित 5,000/- रुपये का भुगतान, (ङ) ब्याज सहित 7,000/- रुपये का भुगतान, (च) ब्याज सहित 14,000/- रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की वापसी, और (छ) व्यय और कानूनी शुल्क के लिए 20,000/- रुपये का भुगतान।

7. दूसरी ओर, नियोक्ता ने उपर्युक्त दावों का विरोध करते हुए दलील दी कि अपीलार्थी-फर्म को 17 दिसंबर 2004 को ले-आउट दिया गया था और उसने अपीलार्थी-फर्म को पूरा सहयोग और समर्थन प्रदान किया था लेकिन निष्पादित किए गए कुल कार्य की राशि केवल 50,00,154 /- रुपये थी। अपीलार्थी-फर्म को 18 जनवरी 2005 से 20 मई 2005 के बीच कई नोटिस दिए गए थे और अंतिम नोटिस 08 मई 2006 को दिया गया था लेकिन वह काम पूरा करने में विफल रही। इसलिए, अधीक्षण अभियंता ने दिनांक 05 जुलाई 2006 के पत्र के तहत अनुबंध के खंड 2 और 3 (सी) के तहत अपीलार्थी-फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति दी। नियोक्ता का पक्ष यह है कि वह 36,62,822 /- रुपये की जुर्माना/हर्जाना वसूलने का हकदार है। अपीलार्थी-फर्म को हुए असहयोग और नुकसान पहुँचाने के आरोपों का खंडन किया गया और नियोक्ता द्वारा विशेष रूप से यह दलील दी गई कि नहर के कुल विस्तार में से भूस्वामियों की भूमि केवल श्रृंखला 23+1C मीटर तक फैली हुई थी और शेष भूमि सरकारी थी। आगे यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी-फर्म ने वास्तव में श्रृंखला 40 से श्रृंखला 60 के बीच का काम पूरा कर लिया था, जो भूस्वामियों

की थी, लेकिन अपीलार्थी-फर्म श्रृंखला 0 से श्रृंखला 40 के बीच का काम पूरा करने में विफल रही जबकि वह हिस्सा सरकारी भूमि का था।

8. विचारण के दौरान, अपीलार्थी-फर्म के प्रोप्राइटर ने पीडब्लू-1 के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए और कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिन्हें प्रदर्श-1 से प्रदर्श-58 के रूप में चिह्नित किया गया था। नियोक्ता की ओर से, अशोक रीगल, जो सहायक अभियंता थे, ने डीडब्लू-1 के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया और प्रदर्श-ए-1 से प्रदर्श-ए-11 के माध्यम से दस्तावेजों को सिद्ध किया।

9. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अध्ययन करने के बाद हम यह पाते हैं कि वाणिज्यिक न्यायालय ने इस मामले में ऐसी धारणाओं और उपधारणाओं के आधार पर कार्यवाही की, जिनका कानून में कोई आधार नहीं हो सकता। विवाद्यक संख्या 2 पर वाणिज्यिक न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि अपीलार्थी-फर्म का कोई प्रतिनिधि, जिसे 7 दिसंबर 2012 के निर्णय में ठेकेदार कहा गया है, समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित था, तो भी उक्त निर्णय पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि अपीलार्थी-फर्म के पक्ष के संबंध में उक्त आदेश में एक शब्द भी दर्ज नहीं किया गया है। कोई भी प्रशासनिक आदेश जो किसी पक्ष के लिए दीवानी परिणाम सुनिश्चित करता है, उसे प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा अपनाए गए रुख पर उचित विचार करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। 7 दिसंबर 2012 का सशक्त स्थायी समिति का निर्णय एकतरफा आदेश है, जिसमें केवल नियोक्ता का पक्ष और समिति का एक अस्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि दावेदारों के दावे तर्कसंगत नहीं हैं और इसलिए उन्हें

खारिज किया जाता है। "राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य" (2003) 11 एससीसी 519 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि तर्क प्रत्येक निष्कर्ष की धड़कन है और इसके बिना वह निर्जीव हो जाता है। वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 2 पर दिए गए निर्णय को बेहतर ढंग से समझने के लिए, हम समिति के 7 दिसंबर 2012 के उक्त निर्णय का हवाला देंगे, जो इस प्रकार है:-

> "अमरपुरा सिंचाई परियोजना के सीडी कार्यों सहित *0* से *1.90* किमी आरएमसी के निर्माण के लिए श्री राजेश्वर सिंह चूड़ावत *(*दावेदार*)* और प्रतिवादी विभाग के दावों*/*विवादों का फैसला करने के लिए प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में *07.12.12* को शाम *06.00* बजे सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई थी।
>
> बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे*:*
>
> *1.* श्री पी.एल. सोलंकी, मुख्य अभियंता एवं अपर सचिव, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
>
> *2.* श्री प्रकाश टेकवानी, संयुक्त सचिव *(*व्यय*-III)* वित्त विभाग।
>
> *3.* श्री अशोक के. व्यास, संयुक्त विधि विभाग।
>
> *4.* श्री ए.के. भारद्वाज, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पश्चिम रेलवे जोन, उदयपुर द्वारा अधिकृत अधिशासी अभियंता, जल संसाधन संभाग, डूंगरपुर प्रतिवादी के रूप में उपस्थित थे तथा ठेकेदार दावेदार के रूप में उपस्थित थे।
>
> समिति ने दावेदार के दावे के समर्थन में तथा प्रतिवादी के उत्तर के समर्थन में उसके तर्क सुने। जल संसाधन संभाग, डूंगरपुर के अधिशासी अभियंता ने समिति को बताया कि ठेकेदार को *0-1.9* किमी तक आरएमसी का कार्य आवंटित किया गया था। इस भाग में नरेगा*/*अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत आंशिक खुदाई की गई थी। श्रृंखला *0-26* और *29-38 (*कुल *36* श्रृंखला*, 1080* मीटर*)* से नहर संरेखण सरकारी भूमि पर था तथा श्रृंखला *27-28* और *38-63 (*कुल *27* श्रृंखला*, 810* मीटर*)* से निजी भूमि पर था। ठेकेदार को समय पर लेआउट दिया गया था और भूमि अधिग्रहण के कारण कोई बाधा नहीं आई क्योंकि कार्य स्थल का अधिकांश भाग सरकारी भूमि पर था। ठेकेदार ने कार्य जारी नहीं रखा और नोटिस के बावजूद उसने कार्य पूरा नहीं किया तो खंड *2* और *3 (*सी*)* के अंतर्गत कार्रवाई

की गई। शेष कार्य अन्य ठेकेदार से जोखिम और लागत पर पूरा करवाया गया। ठेकेदार के अनुरोध पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर ने भी मामले की जांच की और मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार आपत्तियां टिकने योग्य नहीं हैं।

समिति ने प्रस्तुत तथ्यों और अभिलेखों का अवलोकन किया और पाया कि दावेदार के दावे मान्य नहीं हैं। इसलिए समिति ने दावे को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।"

10. खंड 2 के अंतर्गत, जो देरी के लिए मुआवजे से संबंधित है, अपीलार्थी-फर्म, विशेष कार्यों को छोड़कर सभी मामलों में पूरे काम का 1/8 वां हिस्सा पूरा करने के लिए बाध्य है यदि किसी काम के लिए एक महीने का समय दिया गया था। इसमें समय विस्तार को पूरा करने के लिए और भी शर्तें दी गई हैं और यदि अपीलार्थी-फर्म काम पूरा करने में विफल रहती है और काम के निष्पादन में देरी के लिए अपीलार्थी-फर्म को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो यह प्रावधान है कि वह इसके तहत निर्धारित अनुसार सरकार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। खंड 2 के तहत शर्त इस आधार पर आगे बढ़ती है कि काम के निष्पादन में देरी अपीलार्थी-फर्म के कारण है। खंड 2 के तहत यह शर्त इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि कार्य के निष्पादन में देरी अपीलार्थी-फर्म के कारण हुई है। खंड 2 के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि लगाए जाने वाले मुआवजे की पूरी राशि अनुबंध के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार के कारण हुई देरी के आधार पर समय विस्तार देते समय प्रत्येक देरी के लिए कारण दर्ज किए जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि समय विस्तार प्रदान करते समय नियोक्ता कारण दर्ज करें, लेकिन 31 मार्च 2006 और 26

जून 2006 के पत्रों में इसका पूर्णतः अभाव है। आसान संदर्भ के लिए, हम 31 मार्च 2006 और 28 जून 2006 के पत्रों का उद्धरण देते हैं:-

राजस्थान सरकार

सिंचाई विभाग

क्रम संख्या लेखा-*3/10826* दिनांक*:- 31.03.06*

मैसर्स मेवाड़ एसोसिएट्स
मालिक श्री राजेश्वर सिंह चूंडावत
ग्राम एवं पोस्ट-थड़ा, तहसील
सलूंबर जिला उदयपुर *(*राज.*)*

विषय - अमरपुरा लघु सिंचाई परियोजना *(*अनुबंध संख्या *24* वर्ष *2004-05)* जिला डूंगरपुर *(*अनुबंध संख्या *8* वर्ष *2005-06)* के सी.डी. कार्यों सहित आर.एम.सी. *0* से *1.90* कि.मी. का निर्माण

संदर्भ - आपके पत्र क्रमांक *106* दिनांक *15.11.2005* एवं पत्र क्रमांक *7527* दिनांक *24.12.2005*

महोदय,

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि उक्त कार्य के अनुबंध के खंड *2* एवं *3* में निहित राज्य सरकार के ब्याज एवं क्षतिपूर्ति को अधिरोपित करने तथा कार्य को अपने व्यय पर पूर्ण कराने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए, उक्त कार्य की समयावधि को अस्थायी रूप से दिनांक *30.06.2006* तक बढ़ाया जाता है।

भवदीय,

अधिशासी अभियंता

जल संसाधन विभाग, डूंगरपुर

……………………………………………………………………………………………………

राजस्थान सरकार

सिंचाई विभाग

क्रम संख्याः- लेखा-*3 /* दिनांकः- *28.06.2006*

मैसर्स मेवाड़ एसोसिएट्स,

मालिक श्री राजेश्वर सिंह चूंडावत,

ग्राम एवं पोस्ट-थड़ा,

तहसील- सलूम्बर,

जिला-उदयपुर (राजस्थान)

विषय- अमरपुरा लघु सिंचाई परियोजना (अनुबंध संख्या-*24*, वर्ष *2004-05*) जिला-डूंगरपुर (अनुबंध संख्या *8*, वर्ष *2005-06*) के सी.डी. कार्यों सहित *0* से *1.90* किमी. आर.एम.सी. का निर्माण

संदर्भः- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक *10826*, दिनांक *31.03.2006*

महोदय,

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत निवेदन है कि अनुबंध के खंड *2* एवं *3* में निहित राज्य सरकार के हित तथा क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने एवं अपने खर्च पर कार्य पूर्ण कराने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य की समयावधि अस्थायी रूप से *31.07.2006* तक बढ़ाई जाती है।

एस.डी.

भवदीय,

अधिशाषी अभियंता,

जल संसाधन विभाग,

डूंगरपुर”

11. अनुबंध का खंड 3 "जोखिम और लागत खंड" को संदर्भित करता है जो उप-खंड (सी) के तहत यह प्रावधान करता है कि अपीलार्थी-फर्म को नोटिस देने के बाद अधूरे काम को किसी अन्य ठेकेदार को दिया जा सकता है और उस स्थिति में, मूल ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक जो भी खर्च किया जाएगा, उक्त अतिरिक्त राशि मूल ठेकेदार से वसूल की जाएगी। नियोक्ता के पास निस्संदेह खंड 2 और 3 (सी) के तहत किसी भी दंडात्मक उपाय का सहारा लेने की शक्ति है, लेकिन ऐसी शक्ति का अस्तित्व नियोक्ता की एकतरफा कार्रवाई को उचित नहीं ठहराएगा। अपीलार्थी-फर्म के विरुद्ध कठोर कदम उठाने से पहले, उसके द्वारा प्रस्तुत बचाव पर सार्थक विचार किया जाना चाहिए था, न कि औपचारिक तौर पर उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए था। न्याय के लिए कोई स्वर्ण पैमाना नहीं हो सकता लेकिन प्रशासनिक प्राधिकारी कानूनन बाध्य है कि वह संभाव्यता की प्रबलता के नियम को ध्यान में रखते हुए यह तौलें कि क्या बचाव पक्ष का रूख संभावित है। नियोक्ता द्वारा 5 जुलाई 2006, 12 जुलाई 2006 और 21 अक्टूबर 2007 के पत्रों के माध्यम से की गई कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई है, जो बिना किसी समर्थनकारी साक्ष्य के केवल एक काल्पनिक स्थिति की धारणा के आधार पर नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि संभाव्यता की प्रबलता का सिद्धांत भी किसी प्राधिकारी को बिना किसी साक्ष्य के अपनी कल्पना से कोई परिकल्पना गढ़ने का अधिकार नहीं देता। "मिलर बनाम मिनिस्टर ऑफ पेंशन" (1947) 2 ऑल ईआर 372 में, लॉर्ड डेनिंग, जे. ने संभाव्यता की प्रबलता को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया: (ऑल ईआर पृष्ठ 373 एच)

> *"(1)....* इसके लिए पूर्ण निश्चितता तक पहुँचना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें उच्च स्तर की संभाव्यता होनी चाहिए। उचित संदेह से परे प्रमाण का अर्थ संदेह की छाया से

> परे प्रमाण नहीं है। यदि कानून न्याय की प्रक्रिया को विचलित करने वाली काल्पनिक संभावनाओं को स्वीकार करता है, तो वह समुदाय की रक्षा करने में विफल रहेगा। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य इतने प्रबल हैं कि उसके पक्ष में केवल एक दूरस्थ संभावना ही बचती है जिसे "बेशक यह संभव है, लेकिन इसकी जरा भी संभावना नहीं है" सजा से खारिज किया जा सकता है, तो मामला उचित संदेह से परे साबित होता है, लेकिन इससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा।"

12. अपीलार्थी-फर्म द्वारा लाभ की हानि के संबंध में किए गए दावे पर वाणिज्यिक न्यायालय ने अपीलार्थी-फर्म द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रति अपनी आँखें पूरी तरह से बंद कर लीं। प्रदर्श-45 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 15 सितम्बर 2006, प्रदर्श-47 के माध्यम से धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 09 मार्च 2007, प्रदर्श-46 के माध्यम से राजपत्रित प्रकाशन दिनांक 17 मार्च 2007 तथा प्रदर्श-4, 5, 6 एवं 7 के माध्यम से कृषक की आपत्तियाँ प्रस्तुत की गईं। अपीलार्थी-फर्म ने समय-समय पर नियोक्ता को दी गई अपनी आपत्तियों को भी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया और उन्हें प्रदर्श-8, 10, 11, 36, 39, 40, 55 और 56 के रूप में अंकित किया गया था, लेकिन इन सभी दस्तावेजों को वाणिज्यिक न्यायालय ने केवल इस कारण से नजरअंदाज कर दिया कि माप पुस्तिका पर अपीलार्थी-फर्म के हस्ताक्षर दिखाई देते हैं। जबकि, नियोक्ता द्वारा परीक्षित गवाह डीडब्ल्यू-1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि अपीलार्थी-फर्म के हस्ताक्षर उसके स्वीकृत हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहे थे। डीडब्ल्यू-1 को अपीलार्थी-फर्म द्वारा साक्ष्य में रखे गए दस्तावेजों के संदर्भ में सुझाव दिए गए थे कि भूमि धारकों को मुआवजा नहीं दिया गया था, ग्रामीणों ने स्थल पर जुटाई गई मशीनरी को हटा दिया था और काम के निष्पादन में देरी मुआवजे का भुगतान न करने और ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न व्यवधानों के कारण हुई थी। हालांकि, इस गवाह ने ऐसे सुझावों का खंडन

किया वह भूमि अधिग्रहण से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों तक को नकारने की हद तक चला गया।

13. नियोक्ता ने एकपक्षीय निर्णय लिए और यह 5 जुलाई 2006, 12 जुलाई 2006 और 21 अक्टूबर 2007 के पत्रों की विषयवस्तु पर एक नज़र डालने से आसानी से पता लगाया जा सकता है। 31 मार्च और 28 जून 2006 के पत्रों के माध्यम से समय विस्तार देने वाले आदेशों में समय विस्तार देने का कोई कारण नहीं बताया गया है और केवल यह दर्ज किया गया है कि नियोक्ता ने अनुबंध के खंड 2 और 3 (सी) के तहत हर्जाना वसूलने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। 5 जुलाई 2006 का पत्र, जिसके द्वारा अधीक्षण अभियंता ने अनुबंध समाप्ति की स्वीकृति दी थी, प्रशासनिक अभियंता के 1 जुलाई 2006 के पत्र के संदर्भ में जारी किया गया था और उक्त पत्र इस तथ्य की अनदेखी करते हुए जारी किया गया था कि अपीलार्थी-फर्म को 31 जुलाई 2006 तक कार्य पूरा करने के लिए समय विस्तार पहले ही दिया जा चुका था। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सज्जन सिंह राठौड़ ने तर्क दिया किया कि अपीलार्थी-फर्म की कार्य पूरा करने में विफलता को देखते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया गया क्योंकि विस्तारित समय अवधि की समाप्ति का इंतजार करना महज औपचारिकता होती। हमारी राय में, कार्य पूरा होने की अवधि के दौरान अनुबंध को समाप्त करना अवैध था। 5 जुलाई 2006 के पत्र में दर्ज है कि अपीलार्थी-फर्म 47,07,236.00/- रुपये तक का कार्य पूरा करने में सक्षम थी, लेकिन अपीलार्थी-फर्म द्वारा बताए गए कारणों का उल्लेख किए बिना केवल यह दर्ज किया गया है कि अपीलार्थी-फर्म ने कार्य पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। 12 जुलाई 2006 का पत्र भी नियोक्ता

का एकपक्षीय निर्णय है और यह केवल अनुबंध के खंड 2 और 3 (सी) के प्रावधानों को संदर्भित करता है और अपीलार्थी-फर्म से वसूले जाने वाले हर्जाने की मात्रा निर्धारित करता है।

14. वाणिज्यिक न्यायालय को नियोक्ता द्वारा अपने दायित्व के गैर-पूर्ति पर विचार करना आवश्यक था जो मामले की जड़ तक जाता है। भले ही यह माना जाता है कि अपीलार्थी-फर्म को कृषक से संबंधित भूमि के हिस्से पर कब्जा दिया गया था, नियोक्ता को 20 जनवरी 2005 तक ऐसी भूमि का कब्जा देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उस दिन तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना भी प्रकाशित नहीं हुई थी। सामान्य नियम जो दीवानी कार्यवाहियों को नियंत्रित करता है, वह यह है कि किसी तथ्य को तब दर्शाया गया कहा जाता है जब वह संभाव्यता की प्रचुरता से सिद्ध हो जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत एक तथ्य तब सिद्ध कहा जाता है जब न्यायालय या तो यह मानता है कि यह अस्तित्व में है या इसके अस्तित्व को संभावित दर्शाता है कि परिस्थितियों के तहत एक विवेकशील व्यक्ति इस धारणा पर आगे बढ़ेगा कि इस तरह का तथ्य वास्तव में मौजूद है। इसलिए न्यायालय को यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि क्या कोई विवेकशील व्यक्ति वैध संभावनाओं को तौलने पर यह पाता कि प्रश्नगत तथ्य के अस्तित्व के पक्ष में प्रबलता है। संभावनाओं के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय को अंततः यह पता लगाना आवश्यक है कि संभावना की प्रबलता कहाँ निहित है। इसके अलावा, किसी तथ्य के अस्तित्व के संबंध में संभावना की प्रबलता की जाँच पक्षों के रुख और उसके समर्थन में प्रस्तुत सामग्री के संदर्भ में की जाती है, न कि केवल नियोक्ता के रुख को दर्ज करके, जो स्वयं निर्णायक था। अपीलार्थी-फर्म

द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए विभिन्न दस्तावेज़, जो कृषक द्वारा किए गए विरोध और विषयगत कार्यों के निष्पादन में उसके सामने आई कठिनाइयों को दर्शाते हैं, को इस भ्रामक तर्क पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता था कि भूमि का कब्ज़ा अपीलार्थी-फर्म को दे दिया गया था।

15. एक प्रशासनिक कार्यवाही में जबकि साक्ष्य के सख्त नियम लागू नहीं होते हैं, निष्पक्षता, न्याय और अच्छे विवेक के सामान्य नियमों का पालन किया जाना चाहिए और एक सहज दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यह भी सुस्थापित है कि संविदात्मक मामलों में भी नियोक्ता निष्पक्ष रूप से कार्य करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की मूलभूत आवश्यकताओं का पालन करने के लिए बाध्य होगा। एक वाणिज्यिक दुनिया में यह तर्क संतुष्ट नहीं करता है कि कोई ठेकेदार केवल दंड भुगतने और अनुबंध के तहत कार्य पूरा करने में अपनी ओर से हुई तथाकथित देरी के लिए नियोक्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बोली लगाएगा और अनुबंध स्वीकार करेगा। यह वास्तव में किसी भी समझ से परे है कि एक ठेकेदार जिसने 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा कर लिया था, वह काम को बीच में ही छोड़ देगा और नियोक्ता द्वारा दंड और मुआवजा के अधिरोपण को आमंत्रित करेगा। हमारी राय में, अनुबंध का मूलभूत उल्लंघन था क्योंकि नियोक्ता अनुबंध के तहत अपने आवश्यक दायित्वों को पूरा नहीं कर सका। वर्तमान जैसी स्थिति में, दंड, हर्जाना आदि की वसूली के लिए अनुबंध की लिखित शर्तों को अपीलार्थी-फर्म के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है।

16. उपर्युक्त कारणों से, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा वाद संख्या 144/2018 में दिए गए निर्णय को अपास्त किया जाता है और उक्त वाद को डिक्री किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी-फर्म को 18 सितंबर 2009 के निर्णय के पैराग्राफ संख्या 4 और 5 में दर्ज अपने दावों के लिए हकदार माना जाता है।

(मदन गोपाल व्यास**),** जे **(**श्री चन्द्रशेखर**),** जे

165-रवि खंडेलवाल

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate